

यूपीसीडा की मॉडल भवन विनियमावली 2026 के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की बृहस्पतिवार को हुई 52वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। अध्यक्ष एवं अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल भवन विनियमावली-2026 संबंधी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भवन निर्माण एवं विकास प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना और नियोजन व विनियमन व्यवस्था को स्पष्ट बनाना है।

बोर्ड ने हरदोई की संडीला और चित्रकूट की मऊ तहसील में भूमि खरीदने के लिए अतिरिक्त धनराशि मंजूर की। वहीं, ललितपुर के सैदपुर स्थित राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र की जमीन पर पीपीपी मॉडल से ललितपुर फार्मा पार्क विकसित करने को स्वीकृति दी गई। इससे एकीकृत फार्मा इकोसिस्टम और आधुनिक औद्योगिक



आलोक कुमार

52वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार और भूमि अधिग्रहण पर लिए गए अहम फैसले

सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

कानपुर नगर में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और बल्क डिस्पेंच टर्मिनल के लिए भूमि अर्जन प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। कन्नौज के परफ्यूम पार्क का तलपट मानचित्र अनुमोदित करते हुए आवंटित भूखंडों पर इकाइयों की स्थापना और संचालन जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

यूपीसीडा की भूमि आवंटन नीति में संशोधन के तहत 500 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए न्यूनतम मूल्यांकन अंक 60 से घटाकर 50 कर दिए गए। वहीं, उन्नाव की ट्रांस गंगा सिटी की विकास योजना और तलपट मानचित्र को मंजूरी मिली। इसमें कुल हरित क्षेत्र सुरक्षित रखते हुए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गोल्फ कोर्स, क्लब और विला जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। आलोक कुमार ने भूमि अधिग्रहण, बुनियादी ढांचे के विकास, पारदर्शी आवंटन और प्रशासनिक दक्षता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।